न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—36/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/36)

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पतासी पत्नी स्व0 हरिसिंह
2. इंद्रा पुत्री स्व0 हरिसिंह
3. सुरेश पुत्र स्व0 हरिसिंह
4. मतरा पुत्री स्व0 हरिसिंह
5. प्रभा पुत्री स्व0 हरिसिंह
6. श्यामसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह
   समस्त जाति रावत,निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
8. पन्ना पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंगरी राजगढ तहसील, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 53/2021

उपस्थितः—

1. श्री हरिसिंह गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री राघवेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वादीगण वाद स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा उक्त राजस्व वाद का जवाब प्रस्तुत कर उक्त राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को अविधिक रूप से स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 53/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित फरमाने के पश्चात निर्णय की प्रमाणित नकल प्राप्त कर अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुती की अनुशंषा के साथ प्रभारी अधिकारी, प्राधिकरण को प्रेषित की गई जिनके द्वारा पूर्ण रूप से जॉच किए जाने के पश्चात अपील तैयार की जाकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत स्वीकार की जाकर अपील में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद बावत् अपने आवंटन दिनांक के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी काश्त नही की गयी थी तथा आंवटन नियमों के अनुसार उक्त आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका था तथा वादीगण द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद के साथ विवादित आराजी बावत् काश्त सम्बन्धि खसरा परिवर्तनशील तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत नही है। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःक.अ./राजस्व/एफ0–12(सी(2)13/291 दिनांक 27.09.2013 को विधिवत रूप से प्राधिकरण को हस्तातंरित की गई थी तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद बावत् अविधिक रूप से अपीलांट को बिना समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसार प्रदान किये छोटी–छोटी तारीखे देकर विधि विरूद्ध तरीक से उक्त आदेश दिनांक 28.10.2021 पारित कर दिया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 निरस्त फरमायी जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 06 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 02 संयोजित थे तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद भी यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद बाहर के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है जो संतोषजनक नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र में देरी के संतोषजनक कारण अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि वादीगण के पति/पिता हरिसिंह पुत्र देवी सिंह को चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4–18–00 व 5433 रकबा 08–09–00 को आंवटन दिनांक 09.07.1984 को हुआ था। उक्त आवंटन की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 04–18–00 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 व हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79 व 5433 रकबा 08–09–00 के वर्किंग खसरा

नम्बर 6309 व हाल खसरा नम्बर 2591 रकबा 1.37 है0 सिवायचक खातेद में है किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में है।वादीगण व स्वतंत्र गवाह के बायन से भी वादी का कब्जा होना साबित था तथा तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा भी यह साबित है कि विवादित आवंटित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। उक्त आराजी हरिसिंह को 1984 में आवंटित हुयी थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में 14(4) का प्रकरण विचाराधीन नही है तथा कब्जा काश्त वादीगण का ही साबित हुआ था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आंवटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक आवंटन वैध रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित आराजी पर आवंटन आदेश की पालना सुनिश्चित होने के पश्चात ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद विधि सम्मत स्वीकार किया जाकर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया गया है, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को यथावत् रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

9. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सिविल न्यायालय जैर विचाराधीन प्रकरण 47/2019 बउनवानी पन्ना बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में प्रथम दृष्टया पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर ने अपना कब्जा साबित करते हुए स्थगन प्राप्त किया है। उक्त आराजी पर उसका वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के रूप में उसने दो दुकाने भी बना रखी है। विडम्बना इस बात की है कि तहसीलदार, नसीराबाद ने बिना मौके पर गये ही हरिसिंह पुत्र देवी सिंह के वारिसान के कब्जे का अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है। यदि तहसीलदार, नसीराबाद मौके की वास्तविक रिपोर्ट बनाते तो पन्ना को भी अपनी बात अधीनस्थ न्यायालय में रखने का अवसर मिलता। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 पन्ना को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बाबत् किसी प्रकार का अवसर नहीं मिला है, जबकि विवादित आराजी पर सिविल न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पन्ना पुत्र पॉचू का कब्जा माना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर एवं पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर का जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद पत्र का पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर एवं पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर का जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर